



2026:AHC:31381-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका संख्या - **3858/2025**

राणा रविंद्र सिंह याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 6 अन्य प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: सुधांशु पांडे, कमल कुमार, कमलेश कुमार तिवारी, कृपा शंकर पांडे

प्रतिवादी के अधिवक्ता: आलोक कुमार सिंह, नरेंद्र प्रताप सिंह, मीनाक्षी सिंह (अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता)

मुख्य न्यायाधीश का न्यायालय

माननीय मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र

1. कथित तौर पर जनहित में यह याचिका, याचिकाकर्ता द्वारा जिला ललितपुर के अंदर हाडा ललितपुर में स्थित नजूल भूमि अराजी संख्या 1790, क्षेत्रफल 0.182 के संबंध में प्रतिवादी संख्या 6 और 7 के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करते हुए दायर की गई है।
2. याचिका में दलीलें दी गई हैं कि प्रश्नगत भूमि नजूल भूमि है और प्रतिवादी उक्त भूमि पर अवैध कब्जे में हैं, और इस संबंध में बार-बार प्रत्यावेदन देने के बावजूद अधिकारियों द्वारा प्रतिवादियों से नजूल भूमि खाली कराने के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई है, इसलिए इस संबंध में कार्रवाई की जाए।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. प्रतिवादी संख्या 6 और 7 द्वारा एक संक्षिप्त जवाबी हलफनामा दायर किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ याचिकाकर्ता की विश्वसनीयता और सद्भावना पर सवाल उठाए गए हैं। यह दलील दी गई है कि याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों के परिवार यानी उनकी माता श्रीमती बेबी राजा के खिलाफ एक वाद दायर किया है, जो सिविल जज (सीनियर डिवीजन), ललितपुर के समक्ष विचाराधीन है। उठाए गए दावों के संबंध में, प्रतिवादियों के पक्ष में स्वीकृत माना क्षेत्र (मैप) को उत्तर प्रदेश (भवन संचालन विनियमन) अधिनियम, 1958 ('अधिनियम, 1958') की धारा 15 के प्रावधानों के तहत अपील दायर करके चुनौती दी गई थी, जिसे 27.08.2018 को खारिज कर दिया गया था। उक्त आदेश से उत्पन्न पुनरीक्षण को भी 30.12.2021 को आयुक्त, झाँसी मंडल, झाँसी द्वारा खारिज कर दिया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका संख्या - रिट-सी 7971/2022 इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है जिसमें कोई अंतरिम आदेश प्रदान नहीं किया गया है।
4. जब याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के सामने संक्षिप्त जवाबी हलफनामा रखा गया, तो प्रतिउत्तर शपथ पत्र में इस बात पर जोर दिया गया कि वर्तमान याचिका में उठाया गया विवाद अराजी संख्या 1790 से संबंधित है, जबकि वाद अराजी संख्या 1784 से संबंधित है, और इस प्रकार दुर्भावना से संबंधित तर्क निराधार है।
5. हमने प्रस्तुत दलीलों पर विचार किया है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।
6. अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के तहत नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि चुनौती विशेष रूप से इस आधार पर दी गई थी कि प्रतिवादियों द्वारा अराजी संख्या 1790 को भूमि पर मानचित्र स्वीकृत कराया गया है जो कि नजूल भूमि है। उक्त अपील खारिज कर दी गई थी और जैसा कि उल्लेख किया गया है, पुनरीक्षण भी खारिज कर दिया गया था और रिट याचिका इस न्यायालय के समक्ष लंबित है।
7. चूंकि प्रश्नगत भूखंड के संबंध में पक्षों के बीच का एक विवाद पहले ही याचिकाकर्ता के विरुद्ध दो बार तय हो चुका है और अब रिट याचिका लंबित है, ऐसे में उसी विषय वस्तु के संबंध में अधिनियम, 1958 के तहत अधिकारियों के पास जाने के तथ्य को छिपाकर कथित रूप से जनहित में इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाना, अनिवार्य रूप से महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने और जनहित याचिका क्षेत्राधिकार के दुरुपयोग के समान है, जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



8. मामले के उक्त परिप्रेक्ष्य में, याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका 25,000/- रुपये की लागत (हर्जाने) के साथ खारिज की जाती है, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा चार सप्ताह की अवधि के भीतर इस न्यायालय की कानूनी सेवा समिति, इलाहाबाद में जमा किया जाएगा।
9. याचिकाकर्ता द्वारा उक्त राशि जमा करने में विफल रहने पर, उसे सिविल जज (सीनियर डिवीजन), ललितपुर के न्यायालय में लंबित वाद संख्या 127/2022 (राणा रविंद्र सिंह बनाम श्रीमती बेबी राजा) को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
10. इस आदेश की एक प्रति सिविल जज (सीनियर डिवीजन), ललितपुर की अदालत को वाद संख्या 127/2022 के रिकॉर्ड पर रखने हेतु भेजी जाए।

(क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति) (अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश)

फरवरी 12, 2026

ए.एच.ए./वी.एस.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"